भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L. 33002/99



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 152] No. 152]

दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2006/भाद्र 31, 1928 DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2006/BHADRA 31, 1928

[ स.स.स.क्षेत्र दि, 147 [N.C.T.D. No. 147

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

सं. फा. 14(10)/एल.ए.-2006/एल.जे./06/5965.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को दिनांक 18 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रपति की सहमित प्राप्त हो गई है तथा उसे एतदृद्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

> दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का दिल्ली अधिनियम 4)

> > 18 सितम्बर, 2006

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा दिनांक 18 मई, 2006 को यथापारित) दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1997 में पुन: संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।

इसे भारतीय गणतंत्र के सत्तावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लो की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.- (1) यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।
- (2) यह सितम्बर, 1997 के नींवे दिन से लागू समझा जायेगा। 3002 DG/2006

- 2. धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन .— दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1997 (1997 का दिल्ली अधिनियम 6) (यहां बाद में ''मूल अधिनियम'' के रूप में उल्लिखित) में धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-
  - "3 कुछ अयोग्यताओं का निवारण :— कोई भी व्यक्ति दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने अथवा बने रहने के लिए इस तथ्य के आधार पर अयोग्य नहीं होगा और न ही कभी अयोग्य माना जावेगा कि उसके पास इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद है।"
- 3. अनुसूची का संशोधन .— मूल अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 4 पर प्रविष्टि तथा उसके स्पष्टीकरण के पश्चात् तथा उक्त अनुसूची के परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टियों को सिन्विष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—
  - ''5. यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड, दिल्ली के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद।
  - दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड, दिल्ली के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद।
  - 7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव का पद ।

LB

(1) (

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित 9 जिला विकास समितियों के अध्यक्ष के पद ।
- अनुसूचितं जाति/अनुसूचितं जनजाति कल्याण बांडं, दिल्लीं के अध्यक्ष का पद ।
- अग्नि निवारण सलाहकार समिति, दिल्ली के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का पद।
- अस्पताल सलाहकारं समिति, दिल्ली के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का पद ।
- दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित कॉलेज की गवर्निंग निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का पद ।
- 13. दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थान या संगठन के अध्यक्ष तथा सदस्य का पद ।
- 14. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित सार्विधिक या ग्रैर सार्विधिक निकाय या समिति या निगम या सोसायटी के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद ।
- 4. नई धारा 4 का सन्तिवेशन .-मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्तिविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-
  - "4 परवर्ती प्रावधान-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 15 में उल्लिखित सदस्यता की अयोग्यता से सर्बोधित समस्त कार्यवाही, जो दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रभावी होने तक लम्बित थी, उन्हें इस प्रकार समझा जायेगा जैसे उस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदधारण के समय लागू थे।

बी. एस. माथुर, सचिव

#### DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2006

No. F. 14/10/LA-2006/LJ/06/5965.—The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 18th September, 2006 and is hereby published for general information:—

#### THE DELHI MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF DELHI (REMOVAL OF DISQUALIFICATION) (AMENDMENT) ACT, 2006

(DELHI ACT 4 OF 2006)

18th September, 2006

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 18th May, 2006.)

An Act further to amend the Delhi Members of Legislative Assembly of Delhi (Removal of Disqualification) Act, 1997.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

- 1. Short title and commencement.—(1) This Act, may be called the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Act, 2006.
  - 2. It shall be deemed to have come into force on the 9th day of September, 1997.
- 2. Substitution of new section for Section 3.—in the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 (Delhi Act 6 of 1997) (hereinatur referred to as "the principal Act"), for Section 3, the following section shall be substituted, namely:—
  - "3. Removal of certain disqualifications.—A personal shall not be disqualified and shall be deemed never to have been disqualified for being chosen as, or the being, a member of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi merely by reasonal of the fact that he holds any of the offices prescribed in the Schedule appended to this Act."
- 3. Amendment of the Schedule.—In the principal Act, in the Schedule, after the entry at serial number 4 and the Explanation thereto and before the Proviso to the said Schedule, the following entries shall be inserted namely:—
  - "5. The office of the Chairman and Vice-Chairman of the Trans Yamuna Area Development Board, Delha
  - The office of the Chairman and Vice-Chairman of the Delhi Rural Development Board, Delhi
  - 7. The office of the Parliamentary Secretary to the Chief Minister of Government of National Capatal Territory of Delhi.
  - The offices of the Chairman of 9 District Development Committees constituted by the Government of National Capital Territory of Delha
  - The office of the Chairperson of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Welfare Board, Delha
  - The office of the Chairperson, Vice-Chairperson and member of the Fire Prevention Advisors Committee, Delhi.
  - The office of the Chairman, Vice-Chairman and member of the Hospital Advisory Committee, Delha
  - The office of the Chairperson, Vice-Chairperson and member of the Governing Body of a Delha Government sponsored collage.
  - The office of the Chairman and member of a co-operative institution or organization registered under the Delhi Co-operative Societies Act, 2003.
  - 14. The office of the Chairman, Director or member of a statutory or non-statutory body or committee corporation or society constituted by the Government of National Capital Territory of Delham
- 4. Insertion of new Section 4.—In the principal Actafter Section 3, the following section shall be inserted namely:—

80/6

राजधानी क्ष 2006 को ' दिल्ली सर निकायों में करते हैं।

**GENI** 

of Nation Thursday after 2.00 Autonomthe Gover account o

. भाग-3/2

is Act

embly

orce on

3.--In

val of

inafter

3, the

erson

never

or for

dy of

ason

ribed

cipal

! and

said

ted.

un of

elhi.

man

the

apj'

rict

the

lhi.

led

hi.

on a

ITY

nd

hi.

H

hi

106

"4. Consequential provision.—All proceedings relating to disqualification of membership referred to in Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992), pending at the commencement of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment) Act, 2006, shall be dealt with as if the provisions of that Act were in force at the time of holding of the office specified in the Schedule to this Act."

B. S. MATHUR, Secy.

### सामान्य प्रशासन विभाग अधिसचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

सं. फा. 29/2/2006/सा.प्र.वि./सम/3823.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, बृहस्पतिवार दिनांक 2 नवम्बर, 2006 को "फूलवालों की सैर" के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों, स्थानीय एवं स्वायत्त निकायों में अपराह्न 2.00 बजे के बाद सहर्ष अर्ध-अवकाश घोषित करते हैं।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम एवं आदेशानुसार,

> > , पी. सी. जैन, संयुक्त सचिव

# GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2006

No. F. 29/2/2006/GAD/CN/3823.—The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare Thursday, the 2nd November, 2006 as a half day Holiday after 2.00 P. M. in all Government offices and Local/Autonomous Bodies, Public Sector Undertakings under the Government of National Capital Territory of Delhi, on account of "PHOOL WALO KI SAIR."

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

P. C. JAIN, Jt. Secv.

### समाज कल्याण विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

फा. सं. 60(59) डीएसडब्ल्यू/डीडीटीडब्ल्यूडब्ल्यू/ भाग-3/25067-082.-दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 (दिल्ली अधिनियम 1994 की संख्या 8) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शिक्तायों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अधिसूचना सं. एफ. 60(59) डीएसडब्ल्यू/डीडीटीडब्ल्यू डब्ल्यू/पीटी-3/1425-440 दिनांक 14-5-2004 के अनुसरण में दिल्ली महिला आयोग में एक सदस्य का समावेश इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से करती है:-

डॉ. (श्रीमती) रंजना कौल - सदस्य
तस्य सदन, विनय मार्ग,
नई दिल्ली-110021

उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल आयोग के अध्यक्ष एवं उन सभी सदस्यों सिंहत जो कि अधिसूचना सं. एफ. 60(59)डीएसडब्ल्यू/ डीडीटीडब्ल्यू डब्ल्यू/पीटी-3/1425-440 दिनांक 14-5-2004 में मनोनीत किए गए थे, के साथ समाप्त होगा और यह कार्यकाल दिनांक 13-5-2007 को समाप्त होगा जैसा कि दिल्ली महिला आयोग अधिनियम की धारा 4 में अपेक्षित है।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम एवं आदेशानुसार, आनिन्दो मजुमदार, सचिव एवं निदेशक

# DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2006

No. F. 60(59)/DSW/DDTWW/Pt-III/25067-082.— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 (Delhi Act No. 8 of 1994) the Government of National Capital Territory of Delhi hereby includes the following Member in Item-I of the Notification F. No. 60(59)/DSW/DDTWW/Part-III/1425-440 dated 14-5-2004 of the Delhi Commission for Women w.e.f. the date of publication of this Notification.

Dr. (Smt.) Ranjana Kaul 2, Satya Sadan, Vinay Marg, New Delhi-110021 —Member

The tenure of the above Member shall be co-terminus with the tenure of the Chairperson and other Members appointed *vide* notification F. No. 60 (59)/DSW/DDTWW/Part-III/1425-440 dated 14-5-2004 and shall expire on 13-5-2007 as contemplated under Section 4 of the Delhi Commission for Women Act, 1994.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ANINDO MAJUMDAR, Secy.-cum-Director